

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024

जयपुर, दिनांक :

आदेश

डा. राजीव दूल्ह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (मेडिसन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिलानी, झुंझुनू को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिलानी, झुंझुनू कार्यालय की सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 (क) के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियाँ एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)
विभाग एवं पचायती राज
(चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- निदेशक (जन स्वास्थ्य / प. क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, राज.
- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- संबंधित प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राज.
- संबंधित कोषाधिकारी
- संबंधित अधिकारी
- कम्प्यूटर सेल / निजी / रक्षित पत्रावली
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
7713807

Document certified by PREETI MATHUR
<adwecell.we@rajasthan.gov.in>.

Digital Signature by Preeti Mathur
Designation : Joint Secretary To
Government
Date :09-06-2024 03:45:32